

1.4.2008 से योजना को संशोधित करते समय, उपर्युक्त मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों पर विचार किया गया है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम

वृद्ध व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए

केन्द्रीय सेक्टर योजना

(1.4.2008 से संशोधित योजना)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

www.socialjustice.nic.in

अनुक्रमणिका

विवरण	संक्षिप्त विय वस्तु	पृष्ठ सं.
1. प्रस्तावना	संक्षिप्त विय वस्तु	1
2. उद्देश्य और लक्ष्य		1
3. दृष्टिकोण		1-2
4. योजना के अंतर्गत ग्राह्य कार्यक्रम		2-3
5. केन्द्रीय समर्थन की सीमा		3
6. योजना के अंतर्गत सहायता लेने के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेन्सियां		4
7. सहायता हेतु गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के लिए पात्रता मानदंड		4-5
8. संशोधित लागत मानक		
i) वृद्धाश्रमों का रखरखाव (परिशिट - I)	6	
ii) वृद्धव्यक्तियों के लिए राहत (रेसपाइट) देखभाल गृह और सतत देखभाल गृहों का रखरखाव (परिशिट - II)	7	
iii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहु सेवा केन्द्रों का संचालन (परिशिट - III)	8	
iv) सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों का रखरखाव (परिशिट - IV)	9	
v) मनो:भ्रंश/विक्षिप्त वीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों को संचालित करना (परिशिट - V)	10	
vi) वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक (परिशिट - VI)	11	
vii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए विकलांगता एवं श्रवण सहायक साधन (परिशिट - VII)	12	
viii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं विशिट देखरेख (परिशिट - VIII)	12-13	
ix) वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र (परिशिट - IX)	13	
x) स्कूलों और कालेजों में बच्चों के लिए कार्यक्रमों को सुग्राही करना (परिशिट - X)	4	
xi) क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (परिशिट - XI)	15	
xii) वृद्ध व्यक्तियों को सेवा प्रदायकों (केमरगीवटों) का प्रशिक्षण (परिशिट - XII)	16	
xiii) वृद्धव्यक्तियों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम और सेवा-प्रदाता		

(परिशिट - XIII)	17
xiv) निराश्रित वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए बहु सुविधा देखभाल केंद्र (परिशिट - XIV)	18
xv) वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवक व्यूरो (परिशिट - XV)	19
xvi) वृद्धा संघ/वरिठ नागरिक संघों का गठन (परिशिट - XVI)	20
9. दिशा-निर्देश	21-24

वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम

1. भूमिका

भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। वृद्धजनों की संख्या वर्ष 1951 के 19.8 मीलियन से बढ़कर वर्ष 2001 में 76 मीलियन हो गई है और अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013 में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 100 मीलियन तथा वर्ष 2030 में 198 मीलियन होने की आशा है। जीवन प्रत्याशा, जो 1947 में लगभग 29 वर्ष थी अब कई गुणा बढ़कर 63 वर्ष के पास हो गई है।

भारतीय समाज के परम्परागत मूल्यों में वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता था। तथापि, हाल के समय में समाज में धीरे-धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है परिणामस्वरूप भावात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफी संख्या में माता-पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वृद्धजन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को मौलिक सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान कर और सरकारी/गैर-सरकारी संगठन/पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय और संपूर्ण समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए सकारात्मक एवं सक्रिय अनुकूल वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके, समर्थन देकर वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

3. दृष्टिकोण

इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों और पात्र गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी --

- (i) निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धजनों की आधारभूत जरूरतों विशेषकर भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखरेख की जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रम
- (ii) विशेषकर बच्चों/युवाओं और वृद्धजनों के बीच अंतर-पीढ़ी संबंधों को बनाने और सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रम;
- (iii) सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम

- (iv) वृद्धजनों को संस्थागत के साथ-साथ गैर-संस्थागत देखभाल/सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम;
- (v) वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, एडवोकेसी और जागरूकता निर्माण के कार्यक्रम; और
- (vi) वृद्धजनों के सर्वोत्तम हित में कोई अन्य कार्यक्रम।

4. योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य कार्यक्रम

- (i) कम से कम 25 निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को भोजन, देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण (परिशिट- I)
- (ii) वृद्धाश्रमों में रहने वाले कम से कम 25 ऐसे वृद्धजनों को जो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं और उनकी सतत् नर्सिंग देखभाल और आराम की अपेक्षा होती है, के लिए राहत (रेसपाइट) देखभाल गृहों और सतत् देखभाल गृहों का अनुरक्षण (परिशिट II)
- (iii) कम से कम 50 वृद्धजनों को दिवा देखभाल, शैक्षिक एवं मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल, मित्रमंडली प्रदान करने के लिए वृद्धजनों के लिए बहु सेवा केंद्रों का संचालन (परिशिट III)
- (iv) ग्रामीण एवं पृथक और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों का रखरखाव। (परिशिट रुज्ज)
- (v) मनो:भ्रंश बीमारी के मरीजों को विशेष दिवा देखभाल प्रदान करने के लिए मनो:भ्रंश बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों को संचालित करना। (परिशिट V)
- (vi) वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक। (परिशिट VI)
- (vii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए विकलांगता और श्रवण सहायक साधन। (परिशिट जर्बर)
- (viii) वृद्ध व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों हेतु मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं विशिट देखभाल। यह योजना उन संगठनों/अस्पतालों के लिए भी खुली है जोकि पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य देखरेख में हैं। यह योजना ऐसे संगठनों को वृद्ध व्यक्तियों के लिए संघटक को शामिल करने में सहायक होगी जो कि अब तक उपेक्षित है। (परिशिट VIII)

- (ix) वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन एवं परामर्श केन्द्र । (परिशिट IX)
- (x) स्कूलों और कॉलेजों में विशो रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रमों को सुग्राही बनाना । (परिशिट X)
- (xi) क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र । (परिशिट XI)
- (xii) वृद्ध व्यक्तियों के सेवा प्रदायकों (केयरगीवरों) का प्रशिक्षण । (परिशिट XII)
- (xiii) वृद्ध व्यक्तियों और केयरगीवरों जैसे स्व-देखभाल, निवारण स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी प्रबंधन, वृद्धावस्था/स्वस्थ और सकारात्मक वृद्धावस्था के लिए तैयार अंतर-पीढ़ी संबंध के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम । (परिशिट XIII)
- (xiv) विधवा वृद्ध महिलाओं को आश्रय, शौक्षिक, व्यावसायिक और मनोरंजन सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल एवं मित्र-मंडली प्रदान करने हेतु निराश्रित वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए बहु सुविधा देखभाल केन्द्र । (परिशिट XIV)
- (xv) वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवक व्यूरो । (परिशिट XV)

- (xvi) वृद्ध संघों/वरिट नागरिक संघों का गठन । (परिशिट XVI)
- (xvii) अन्य कोई कार्यकलाप/जिसे योजना के उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त माना जाए

5. परियोजना को सहायता की सीमा

- (i) योजना में विनिर्दिट परियोजना की लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी संबंधित संगठन/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।
- (ii) स्कूलों, कालेजों, शिक्षण संस्थाओं और पंजीकृत युवा संगठनों जैसे नेहरू युवक केन्द्र संगठन और राट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के मामले में योजना में विनिर्दिट परियोजना लागत का शत-प्रतिशत तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

6. कार्यान्वयन एजेंसियां

इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता स्वीकृत की जाएगी :-

- (i) पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय निकाय ।
- (ii) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन ।
- (iii) सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन
- (iv) सरकारी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और नेहरु युवक केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) जैसे मान्य युवा संगठन
- (v) आपवादिक मामलों में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रदान की जाएगी ।

7. इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों हेतु पात्रता मानदंड

- (i) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन को एक उचित अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए ताकि इसे कारपोरेट स्तर और कानूनी रूप प्राप्त हो जाए तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक समूह दायित्व स्थापित हो ।
- (ii) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संगत राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम दो वर्ग से कार्यशील हो अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 525 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी ।
- (iii) यह दो वर्ग से पंजीकृत रहा हो, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं कम सेवा किए गए/कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के मामले में, दो वर्ग की यह शर्त लागू नहीं होगी । अन्य सुपात्र मामलों में दो वर्ग की शर्त में सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा मामला-दर मामला आधार पर छूट दी जा सकती है ।
- (iv) संगठन का सुव्यवस्थित ढंग से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए और लिखित संविधान में इसकी शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का सुस्पष्ट एवं सुपरिभाति निर्धारण होना चाहिए । इसकी उपयुक्त प्रशासनिक संरचना और विधिवत गठित प्रबंध/कार्यकारी समिति हो ।

- (v) संगठन को इसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलाया एवं नियंत्रित किया जाता हो ।
- (vi) संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए ।
- (vii) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए । संगठन के पास ऐसी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए प्रमाणित प्रत्यय-पत्र और क्षमताएं होनी चाहिए ।

7. योजना के दिशानिर्देश

योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-विधि तथा अन्य नियम एवं शर्तों के साथ सहायता की सीमा से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं । इन दिशानिर्देशों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सचिव (सा.न्या.और अधि.) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन पर संशोधन किए जा सकते हैं । इस समिति में अपर सचिव (सा.न्या.और अधि.), संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) और योजना आयोग और मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सदस्य हैं ।

वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण

(योजना के पैरा 4(i)से संदर्भित)

25 वृद्धजनों को भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन सुविधाएं आदि निःशुल्क प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रम चलाने वाली परियोजनाओं को सहायता-अनुदान। यदि वृद्धाश्रम बड़े आकार के हैं (150 अथवा 75 अथवा 50 लाभार्थियों के लिए) तो ऐसे वृद्धाश्रमों को अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान आनुपातिक आधार पर संरचीकृत किया जाएगा ।

निधियों के उपयोग में लचीलापन लाने के लिए संगठन को निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय करने की अनुमति दी जाएगी ।

(रु0 में)

I	आवर्ती व्यय (क से ड)	5,42,000/-
(क)	स्टाफ मानदेय	1,62,000/- वार्षिक
	अधीक्षक/वार्डन/मैनेजर	42,000/- वार्षिक
	सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता	36,000/- वार्षिक
	दाई/नर्स	36,000/- वार्षिक
	रसोइया	24,000/- वार्षिक
	हैल्पर/स्वीपर	12,000/- वार्षिक
	चौकीदार	12,000/- वार्षिक
(ख)	भवन(किराया/अनुरक्षण)	90,000/- वार्षिक
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल	2,50,000/- वार्षिक
	भोजन	1,96,000/- वार्षिक
	डॉक्टर	18,000/- वार्षिक
	दवाईयां	18,000/- वार्षिक
	कपड़े, तेल, साबुन आदि	18,000/- वार्षिक
(घ)	मनोरंजन (पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्र, बाहर घूमन (आउटिंग्स), धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कैरम, शतरंज, ताश आदि जैसे खेल सहित)	20,000/- वार्षिक
(ङ)	विविध और आकस्मिक (विजली, पानी इत्यादि)	20,000/- वार्षिक
II	अनावर्ती मद्दें (परियोजना स्थापना के समय पर)	
(च)	फर्नीचर, बर्टन, टेलीविजन, इनडोर गेम आदि जैसी मद्दें	1,25,000/-
	कुल (I+II)	6,77,000/-

कार्यान्वयन एजेंसियां अपने स्वयं के संसाधनों से इन वृद्धाश्रमों में अतिरिक्त मद्दें/अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

2. रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटीनुअस होम्स
(योजना के पैरा 4 (ii) में संदर्भित

इस योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उन एजेंसियों को दी गई है जिन्होंने सतत देखभाल के अतिरिक्त अनुदान के रूप में कम से कम 150 लाभार्थियों अथवा कम या अधिक विकलांगता वाले न्यूनतम 25 वृद्ध व्यक्तियों के लिए रेस्पाइट केयर वृद्ध आश्रम चलाने में सराहनीय रिकार्ड दर्शाया है। वित्त पोषण के लिए मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अरपताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं। यदि परियोजना का आकार बड़ा हो (मान लीजिए 75 या 50 लाभार्थी), ऐसे वृद्धाश्रमों की देखरेख के लिए सहायता अनुदान की स्वीकृति उनके अनुपातिक आधार पर की जाएगी।

निधि की उपयोगिता में नम्यता के लिए संगठनों को निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय वहन करने की अनुमति दी जाएगी:

1	आवर्ती व्यय	6,00,000 प्रतिवर्ष
(क)	कर्मचारी मानदेय	2,34,000 प्रतिवर्ष
	डाक्टर	72,000 प्रतिवर्ष
	सुपरिलेन्ट/वार्डिंग/मेनेजर	42,000 प्रतिवर्ष
	सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता	36,000 प्रतिवर्ष
	मिडवाइफ/नर्स	36,000 प्रतिवर्ष
	रसोइयां	24,000 प्रतिवर्ष
	हेल्पर/स्वीपर	12,000 प्रतिवर्ष
	चौकीदार	12,000 प्रतिवर्ष
(ख)	भवन (किराया/देखभाल)	90,000 प्रतिवर्ष
(ग)	हेल्प केयर (डाक्टर, औषधियां आदि) पोषण और सफाई (तेंल, साबुन कपड़े आदि)	2,36000 प्रतिवर्ष
	पोषण	1,96000 प्रतिवर्ष
	चिकित्सा/परीक्षण	20,000 प्रतिवर्ष
	विशेष साबुन, नैपीज, डिस्पोजेवल	20,000 प्रतिवर्ष
(घ)	पैथोलॉजिकल टेस्ट सामग्री	20,000 प्रतिवर्ष
(ङ.)	विविध और अनुमानित (इलेक्ट्रोसिटी जल आदि)	20,000 प्रतिवर्ष
II	गैर आवर्ती मद्दें (परियोजना को तैयार करते समय) : चिकित्सा उपकरण, आक्सीजन सिलेन्डर, बर्टन, फर्नीचर, कच्चा माल आदि शामिल हैं।	1,20000/-
	कुल I+II	7,20000/-

वहु-सेवा केन्द्र

(योजना के पैरा 4 (iii) में संदर्भित)

किसी भी योजना में अनुदान सहायता के लिए 50 वृद्ध व्यक्तियों को दिवा देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन, पीयर इंटरएक्शन, मनोरंजन और सहयोग, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की संख्या को 50 तक सीमित किया जाएगा। निधि की उपयोगिता में नम्यता के लिए संगठन को निम्न शीर्षों पर व्यय वहन करने की अनुमति दी जाएगी:

1	मर्दे	प्रस्तावित (रुपए में)
I	आवर्ती व्यय	3,74,000/- प्रतिवर्ष
(क)	कर्मचारी मानदेय	82,800 प्रतिवर्ष
	(i) मैनेजर/सुपरिडेंट	36,000 प्रतिवर्ष
	(ii) सामाजिक कार्यकर्ता	18,000 प्रतिवर्ष
	(iii) केयर टेकर	9600 प्रतिवर्ष
	(iv) वोकेशनल ट्रेनर/कुक	7200 प्रतिवर्ष
	(v) स्वीपर	24,000 प्रतिवर्ष
(ख)	भवन (किराया/देखभाल)	42,000 प्रतिवर्ष
(ग)	हेल्थ केयर (डाक्टर, औषधियां आदि) नुट्रीशनल सप्लीमेंट	2,18,000 प्रतिवर्ष
(घ)	मनोरंजन (पुस्तक, मैग्नीजस, न्यूजपेपरस, आउटइंग्स, रिलीजस और कल्वरल प्रोग्राम्स, गेम्स लाइक कैरम, चेस, कार्ड आदि)	18,000 प्रतिवर्ष
(ङ.)	विविध और अनफोरेसीन (विजली, पानी, दूरभाष, रसेशनरी आदि)	20,000 प्रतिवर्ष
	विशेष साबुन, नैपीस, डिस्पोजेवल	13,200 प्रतिवर्ष
(घ)	पैथोलॉजिकल टेस्ट सामग्री	20,000 प्रतिवर्ष
(ङ.)	विविध और अनुमानित (इलेक्ट्रीसिटी जल आदि)	20,000 प्रतिवर्ष
II	अनावर्ती मदे (परियोजना को तैयार करते समय) :	
(च)	(फर्नीचर, उटेसिल्स, टेलीविजन, इंडोर गेम्स आदि)	32,000/-
	कुल I+II	4,06,000/-

**मोबाइल चिकित्सा एकक
(योजना के पैरा 4 (iv) में संदर्भित)**

योजना उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए अनुदान सहायता देने के लिए सीमित है जो ऐसे गली-कूचे, ग्रामीण और पहुंच बाहर के (सुदूर) क्षेत्रों में रहते हैं जहां स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। परियोजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल और उसके सुधार में सक्रिय भूमिका निभा सकें और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकें। प्रत्येक मैडिकेयर यूनिट को प्रतिमाह कम से कम 400 वृद्ध व्यक्तियों को योजना में शामिल करना चाहिए। (रूपए में)

	मर्दे	रूपए में
(रु)	कर्मचारी मानदेय	1,13,000/-
(क)	डाक्टर को मानदेय	30,000 प्रतिवर्ष
(ख)	मल्टीपल हैल्थ वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/नर्स	24,000 प्रतिवर्ष
(ग)	ड्राइवर	20,000 प्रतिवर्ष
(घ)	आर्गनाइजर	24,000 प्रतिवर्ष
(ङ.)	हेल्पर	15,000 प्रतिवर्ष
(II)	मैडिसनस और पथोलोजीकल टेस्ट @ रूपए 33 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह	1,58,000 प्रतिवर्ष
(III)	वैन का मैटीनेस और ईंधन	13,000 प्रतिवर्ष
(IV)	आकस्मिक चार्ज	12,000 प्रतिवर्ष
	कुल	2,96,000

**डिमनेशिया से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल के लिए दिवा देखभाल केन्द्रः
(योजना के पैरा 4(V) से संदर्भित)**

इस योजना में प्रतिमाह डिमनेशिया से ग्रस्त 20 वृद्धजनों को कवर करने के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है। लाभार्थियों की संख्या में विविधता होने के मामले में आवर्ती अनुदान में आनुपातिक सामंजस्य किया जाएगा।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वृद्धाश्रम चलाने में उत्कृष्टता वाली अथवा वृद्धजनों को निःशुल्क चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को प्रदान किया जाता है। ये एजेंसियां ही वित्तपोषण की पात्र हैं। पंजीकृत धर्माथ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय भी पात्र हैं।

रु	आवर्ती व्यय: 8,58,000	(रुपए)
1	चिकित्सा चिकित्सक	10000 प्रतिमाह x 12 माह 1,20,000
2	सामाजिक कार्यकर्ता	5000 प्रतिमाह x 12 माह 60,000
3	नर्स (3)	15000 प्रतिमाह x 12 माह 1,80,000
4	दवाइयां	3500 प्रतिमाह x 12 माह 42,000
5	किराया	5000 प्रतिमाह x 12 माह 60,000
6	विजली, पानी एवं दूरभाष	4000 प्रतिमाह x 12 माह 48,000
7	मरीजों हेतु जलपान	15 x 20 x दिन प्रतिमाह x 12 माह 1,08,000
8	आवागमन	20000 प्रतिमाह 2,40,000
II	अनावर्ती व्यय	
1	फर्नीचर/उपकरों आदि की लागत	1,20,000

**फिजियोथेरेपी क्लीनिक
(योजना के पैरा 4(Vi) से संदर्भित)**

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान फिजियोथेरेपी क्लीनिक चलाने में उत्कृष्टता वाली अथवा कम से कम 50 वृद्धजन प्रतिमाह के लिए वृद्धजनों के कल्याण हेतु फिजियोथेरेपी क्लीनिक चलाने वाली एजेंसियों को प्रदान किया जाता है। पंजीकृत धर्माधर्म अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय भी पात्र हैं।

(रुपए)

I	आवर्ती व्यय		2,36,000
1	फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, तकनीशियन को मानदेय	10000 प्रतिमाह x 12 माह	1,20,000
2	उपकरणों का रखरखाव	20000 वार्षिक एकमुस्त	20,000
3	आकस्मिक व्यय (दवाइयां, बिजली, पानी, दूरभाष आदि)		60,000
4	किराया	3000 प्रतिमाह x 12 माह	36,000
II	अनावर्ती व्यय		
1	बोन डेनसीटोमीटर, लेजर थेरेपी उपकरण, शार्ट वेव मेडिकल डायथरमी, इंट्रफैरिंशिल थेरेपी और अल्ट्रा साउंड, एक्स रे मशीन, हाइड्रोकुलेटर, नर्व व मसल्स स्टीमुलेटर, कम्प्यूटर सर्वाइकल और लम्बर ट्रैक्सन बेड, शोल्डर वील और पुली, बहु-वर्जिश व्यायामशाला, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज स्टेयर केस, इंफरा रेड लेम्प फलौर मॉडल, पैराफीन वैक्स बाथ आदि जैसे आवश्यक फिजियो थेरेपी उपकरण		7,00,000

**वृद्ध व्यक्तियों के लिए विकलांगता और श्रवण सहायता
(योजना के पैरा 4 (vii) में संदर्भित)**

इस परियोजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उन एजेंसियों को दी जाती हैं जिन्होंने वृद्ध व्यक्तियों के लिए मुफ्त विकलांगता और श्रवण सहायता पहुंचाने के लिए विशेष कैंप चलाने हेतु वृद्ध व्यक्तियों की योजना चलाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम्स/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज आदि पात्र हैं:

(रूपए में)

1.	बैटरी सहित श्रवण सहायता उपकरणों की लागत (50 यूनिट 2000- प्रत्येक की दर पर) प्रति कैम्प	1,00,000/-
2.	जाबड़ों की लागत (20 यूनिट 1000 प्रत्येक की दर पर) प्रति कैम्प	20,000/-
3	घुटने की ब्रेंस की लागत (10 यूनिट 1500 - प्रत्येक की दर पर) प्रति कैम्प	15,000/-
4.	एक स्क्रीनिंग कैम्प लागत (टेंट, डाक्टर, नर्स आदि)	25,000/-
	कुल (प्रति कैम्प)	1,60,000/-

संवेदनशील वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष देखभाल योजना के पैरा 4 (viii) में संदर्भित

इस परियोजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उन एजेंसियों को दी जाती है जिन्होंने वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष कैम्प चलाने में सराहनीय कार्य किया है। इसमें मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं भी पात्र हैं।

जांच हेतु विशेष स्वास्थ्य कैम्प और मानसिक स्वास्थ्य वाले मामलों का निपटान:

क्रम सं.	शीर्ष	(प्रति कैम्प) (रूपए में)
01	आर्गेनाइजिंग स्क्रीनिंग कैम्प	5000
02	आईईसी	1500
03	अनुवर्ती कार्यवाई (प्रति लाभार्थी)	500
04	मनोचिकित्सक के लिए मानदेय	1000
05	मनावैज्ञानिक के लिए मानदेय	1000
06	समुदाय वर्कर के लिए मानदेय	500
	कुल	9,500 प्रति कैम्प

वृद्ध व्यक्तियों के लिए हैल्प लाइन और परामर्श का कार्य
योजना के पैरा 4 (ix) में संदर्भित

वृद्ध व्यक्तियों के लिए हैल्प लाइन और परामर्श सुविधाएं देने के लिए ऐसी एजेंसियों को अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है जिन्होंने वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए परियोजनाएं चलाने में सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए धर्माथ अस्पताल/नर्सिंग होम्स/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज आदि पात्र हैं:

जांच हेतु विशेष स्वास्थ्य कैम्प और मानसिक स्वास्थ्य वाले मामलों का निपटान:

(रूपए में)

I	आवर्ती व्यय	4,92,000/-
i)	परमिसस के लिए किराया	36,000/-
ii)	मानदेय/मनोवैज्ञानिक के लिए फीस (2)	1,80,000/-
iii)	सामाजिक कार्यकर्ता	84,000/-
iv)	एटेंडेंट्स (संख्या 2)	96,000/-
v)	प्रशासनिक व्यय (बिजली, दूरभाष बिल, प्रसार, पोस्टेज, वाहन, पुस्तकें/पेरीडीकल्स, विविध व्यय, आदि)	96,000/-
II	अनावर्ती व्यय (परियोजना को स्थापित करते समय) (फर्नीचर, दूरभाष सिस्टम, फिटिंग आदि)	80,000/-

**स्कूल/कालेज छात्रों के सुग्राहीकरण के लिए कार्यक्रम
(योजना के पैरा 4(x) से संदर्भित)**

यह परियोजना वृद्ध व्यक्तियों के हितार्थ स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्रों के सुग्राहीकरण के लिए है। शामिल किए गए स्कूलों की संख्या में भेद की स्थिति में अनुदान अनुपातिक तौर पर कम कर दिया जाएगा।

रु	आवर्ती व्यय	(रुपए)
1	वेतन	
	प्रोग्राम आफिसर(1) $1 \times 12 \times 8000$	96,000
	आउटरीज वर्करस $1 \times 12 \times 5000$	60,000
	गेस्ट स्पीकर 40 सत्र 500रुपए प्रति सत्र की दर से	20,000
2	बैनर और पोस्टर	एक मुस्त
		10,000
3	स्टेशनरी जिसमें प्रतियोगिता के लिए पैटिंग सामग्री आदि शामिल है	20 स्कूल 1000रुपए प्रति स्कूल की दर से
4	प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार (निबंध लेखन, पैटिंग आदि)	20 @ 1000
5	ग्रेड पेरेंटस समारोह	5 @ 10000
6	फोटोग्राफी और प्रचार प्रसार	20 @ 700
7	ग्रोसर्स और न्यूज लैटर	एकमुस्त
8	ट्रास्पोर्ट	40 सत्र 300 की दर से
II	अनावर्ती व्यय (स्वीकृति के समय) इसमें लेपटाप, प्रोजेक्टर आदि शामिल हैं।	80,000

**क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र
(योजना के पैरा 4(xi) से संदर्भित)**

कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता बनाने के लिए क्षेत्रीय रूपर पर गठित किए जाने की आवश्यकता है। जबतक इसमें उत्कृष्टता नहीं आती तबतक सुधार के बहुत कम अवसर हैं।

क्र.सं	शीर्ष	दर	कुल व्यय (रुपए)
रु	आवर्ती व्यय		6,63,000
1	मानव संसाधन 1. परामर्शदाता	12000 x 12 माह= 1,44,000	3,00,000
	2. कोरिडीनेटर	7000 x 12 माह= 84,000	
	3. सहायक स्टाफ(2)	6000 x 12 माह= 72,000	
2	किताब, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और पोस्टेज (रीडर फ्रेंडली सामग्री, कोर्स सामग्री, एडवोकेसरी सामग्री	50,000	74,000
	टेलिफोन/इंटरनेट खर्च	24,000	
3	किराया	10000 x 12 माह= 1,20,000	2,41,000
	वाहन किराया	8000 x 12 माह= 96,000	
	वार्षिक क्षेत्रीय वर्कशाप	25000 x 1 माह= 25,000	
4	आकस्मिक व्यय	4,000 x 12 माह	48,000
II	अनावर्ती व्यय मर्दें:		1,12,000
	कार्यालय उपकरण, (जिसमें कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलिफोन, कार्यालय फर्नीचर आदि शामिल हैं।)		

वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण
(योजना के पैरा 4(xii) से संदर्भित)

1. होमकेयर सेवाओं के लिए देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण कार्यक्रम:

I	अनावर्ती व्यय	(रुपए)
1	प्रशिक्षण सामग्री, श्रवय एवं दर्शय सहायक सामग्री, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, चार्ट आदि	60,000
II	आवर्ती व्यय	
1	20 प्रशिक्षणार्थियों को रस्टेपंड	500 प्रतिमाह x20 x12 माह 1,20,000
2	कोर फेकेलटी को मानदेय	6000 प्रतिमाह x12 माह 72,000
3	प्रदर्शनकर्ता/प्रशिक्षक को मानदेय	6000 प्रतिमाह x 12 माह 72,000
4	स्थान प्रभार/किराया	5000 प्रतिमाह x 12 माह 60,000
6	प्रशासन, फील्ड वर्क, ट्रेवल, स्टेशनरी	1000 प्रतिमाह x 12 माह 12,000
कुल (I+II)		3,96,000

**वृद्ध व्यक्तियों के लिए जागरूकता परियोजनाएं
(योजना के पैरा 4(xiii) से संदर्भित)**

अनुदान सहायता ऐसी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को दी जाएगी जिनको अनुभव प्राप्त है और जिनके पास स्वैच्छिक आधार पर समान गतिविधियों के लिए प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड है।

क्र.सं.	शीर्ष	व्यय (रुपए)
1	मासिक रेडियो कार्यक्रम (प्रोड्यूशिंग एंड ब्रोडकास्टिंग लागत) 15 मिनट के स्लाट के लिए (सप्ताह में एक बार) आकाशवाणी द्वारा स्टेट कैपिटलस पर	5000 प्रतिमाह
2	स्थानीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटिका (निर्माण और यात्रा लागत) अलग-अलग स्थानों पर महीने में कम से कम दो	10,000 प्रति नुक्कड़ नाटिका
3	स्थानीय भाषाओं में सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन (अलग-अलग स्थानों पर एक महीने में कम से कम दो) वरिष्ठ नागरिकों और देखभाल करने वालों के लिए विशेषज्ञों के साथ और साहित्य का वितरण	4000 प्रति कार्यक्रम

**वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए वह सुविधा देखभाल केन्द्र
(योजना के पैरा 4(xiv) से संदर्भित)**

इस परियोजना के अंतर्गत 50 वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम चलाने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को पूर्ण दिवस आश्रय और देखभाल, आय अर्जित करने वाली गतिविधियों, धार्मिक कार्यक्रम चलाना, योगा आदि का प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त निधि की उपयोगिता में नम्यता के लिए संगठन को निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय करने की अनुमति दी जाएगी:

	आवर्ती मद्दें	(रुपए)
1	प्रोजेक्ट निदेशक(1) @ 5,000 प्रतिमाह	60,000
2	सामाजिक कार्यकर्ता(1) @ 3000 प्रतिमाह	36,000
3	डाक्टर (पार्ट टाइम)दो विजिट प्रति सप्ताह ₹ 3,000	36,000
4	प्लून/स्वीपर/वाचमैन(3) @ 1500 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति	54,000
5	भोजन खर्च @ 600 रुपए प्रतिमाह प्रति महिला x 50	3,60,000
6	वासिंग चार्ज @ 100रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 50 के लिए	60,000
7	दूरभाष चार्ज @ 500 रुपए प्रतिमाह	6,000
8	नर्स को मानदेय @2500 रुपए	30,000
9	पानी और बिजली @ 6000 प्रतिवर्ष	6,000
10	विविध खर्च @ 3,000 रुपए प्रतिमाह	36,000
11	बिल्डिंग (किराया/अनुरक्षण) @ 7500 प्रतिमाह	90,000
	अनावर्ती मद्दें (प्रोजेक्ट के समय)	
12	मद्दें जैसे फर्निचर, बर्तन, टेलिविजन, इंडोर गेम आदि	1,60,000

वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक ब्यूरो (योजना के पैरा 4(xv) से संदर्भित)

किसी स्वैच्छिक ब्यूरो को संचालित करने के लिए सहायता-अनुदान जारी की जाती है। समाज के लाभ के लिए वृद्ध व्यक्तियों के कौशलों, प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करने के लिए, और साथ ही इनकी सामाजिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक इस ब्यूरो के साथ रजिस्टर होते हैं और संगठनों, अस्पतालों, स्कूलों, शारीरिक या मानसिक बाधाओं से ग्रसित बच्चों की संरक्षणों को अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्यूरो स्वयं सेवकों की आवधिक बैठकों को भी आयोजित करेगा ताकि इनके अनुभव की समीक्षा के साथ कार्रवाई योजनाओं को प्रस्तुत किया जा सके। ब्यूरो के प्रयासों का लक्ष्य स्वयंसेवा कार्य को एक जन आंदोलन बनाना और इसी तर्ज पर अन्य शहरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है।

निधियों के उपयोग में नम्यता की अनुमति के लिए, संगठन को संगठित सेक्टर में प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 स्थापनों के लिए निम्न शीर्षों पर व्यय को वहन करने की अनुमति होगी।

	आवर्ती मर्दे	रूपए में
1	वेतन एवं मानदेय	60,000
2.	कार्यालय के लिए किराया	18,000
3	टेलिफोन, फैक्स, डाक व्यय, प्रिंटिंग स्टेशनरी और अन्य विविध व्यय	20,000
4	स्वयंसेवकों के लिए किट और वर्कशॉप/इवेन्ट व्यय	10,000
अनावर्ती मर्दे (स्वीकृति के समय)		
5	कार्यालय फर्नीचर, टेलिफोन, कम्प्यूटर इत्यादि पर व्यय	36,000

**वृद्ध संघो/वरिष्ठ नागरिक संघों/स्व सहायता समूहों का गठन
(योजना के पैरा 4(xvi) से संदर्भित)**

वृद्ध संघो/वरिष्ठ नागरिक संघों/स्व सहायता समूहों के गठन के लिए राज्य स्तर और डिवीजन स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों के वरिष्ठ नागरिक संघों और स्व-सहायता समूहों को सहायता अनुदान स्वीकृत की जाती है जोकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए साधन जुटाने, इनकी रुचि को बढ़ाने एवं इनके कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों और कार्यकलापों को करने हेतु है। डिवीजन/जिला स्तर पर ऐसे ऐसोशिएशन में कम से कम 1000/5000 वरिष्ठ नागरिक सदस्य के रूप में होने चाहिए और राज्य स्तर की ऐसोसिएशनों के मामले में कम से कम 20,000 होने चाहिए। सरकार अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस अवधि के भीतर, इनसे अंशदान और दान के माध्यम से आत्म निर्भर बनने की आशा की जाती है। 20000 वरिष्ठ नागरिकों के संघ के गठन के लिए सहायता अनुदान की अधिकतम राशि निम्न दरों के अनुसार स्वीकृत की जा सकती है:

रुपए में

रु	आवर्ती मर्दे	1,44,000
1	वेतन एवं मानदेय	72,000
2.	कार्यालय के लिए किराया	12,000
3	टेलीफोन, फैक्स, डाक व्यय, प्रिंटिंग, पुस्तकों और स्टेशनरी की खरीद और अन्य विविध व्यय	40,000
4	यात्रा व्यय	20,000
5	वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, सुविधाओं और लाभों का प्रोत्साहन इनका प्रशिक्षण एवं जागरूकता, नुक्कड़ नाटक, समूह बैठेकें (प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रति माह)	
II		
6	अनावर्ती मर्दे (स्वीकृति के समय)	
	कार्यालय फर्नीचर, टेलिफोन, कम्प्यूटर इत्यादि पर व्यय	50,000

वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश

1. प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया विधि

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान पर कार्रवाई करने के लिए जारी सामान्य दिशा-निर्देशों और समय-समय पर यथा संबंधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) - 2005 के संगत प्रावधानों के अनुसरण में विचार किया जाएगा। इस समय प्रचलित दिशा-निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया-विधि अपनाई जाएगी।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत/अंग्रेज़ित किया जाएगा :-

- (क) सभी प्रस्तावों में कवर किए जाने वाले लक्षित समूह के लाभार्थियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- (ख) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृत हेतु सभी नये प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ग) जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर तत्काल राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (घ) नई परियोजनाओं की संस्वीकृति और जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी रखने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तावित एजेंसियों, जिसकी जांच इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई है, के आधारभूत कार्यकरण और उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए। ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सहायता अनुदान समित द्वारा विचार किया जाएगा और राज्य सरकार की सिफारिशों को वरीयता विनिर्दिष्ट करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक साथ भेज दिया जाएगा। चालू परियोजनाओं के बकाया अनुदान हेतु सिफारिशों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान वित्त वर्ष में सहायता अनुदान जारी करने के लिए विशिष्ट सिफारिश होगी।

- (ङ) नये मामलों को अग्रेषित करते समय राज्य/संघ राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा से वंचित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाए । नये मामलों की जांच करने वाली मंत्रालय की जांच समिति अन्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ इसे भी ध्यान में रखेगी ।
- (च) कार्यान्वयन एजेंसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त होने से पहले निर्धारित प्रपत्र में बॉण्ड भरना होगा । मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बॉण्ड को संखीकृत किए जाने के पश्चात् ही निधियों का स्थानान्तरण किया जाएगा । तथापि, जारी परियोजनाओं के मामले में निधियां जारी करने के लिए आवेदन के साथ उपर्युक्त के अनुसार निष्पादित बॉण्ड संलग्न होना चाहिए ।
- (छ) **निरीक्षण :-** इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निरीक्षण का प्रमुख दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है । सहायता अनुदान केवल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा । मंत्रालय समय-समय पर निरीक्षण की प्रकृति, प्रकार और आवधिकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा । आवश्यकतानुसार मंत्रालय अपनी स्वयं की एजेंसियों द्वारा भी क्षेत्र निरीक्षण कर सकता है ।
- (ज) **अनुदानों की समाप्ति :-** यदि मंत्रालय परियोजना की प्रगति से सहमत नहीं है अथवा इसे पता लगता है कि इन नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो मंत्रालय के पास सहायता अनुदान समाप्त करने और शास्तियों के साथ पहले से संखीकृत सहायता अनुदान की राशि की वसूली करने का अधिकार है ।
- (झ) **स्थान परिवर्तन :-** परियोजनाओं के स्थान में परिवर्तन केवल मंत्रालय की पूर्वानुमोदन से किया जाएगा ।

2. सहायता के लिए शर्तें

- (i) सहायताप्राप्त संगठन/संस्था/स्थापना को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए ।
- (ii) यदि संगठन ने उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, किसी अन्य सरकारी स्रोत से पहले ही अनुदान प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने की आशा है, तो सामान्यतः केन्द्रीय अनुदान हेतु आंकलन ऐसे अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान को ध्यान में रखने के पश्चात् ही किया जाएगा ।
- (iii) सहायताप्राप्त संगठन को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिए अगल-अलग लेखे रखने होंगे । ये भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सदैव खुले होंगे । यह आंतरिक निरीक्षण अथवा समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की

शुरूआत होगी। ये लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए भी खुले रहेंगे।

- (iv) सहायताप्राप्त संगठन को सरकारी अनुदान से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्राप्त सभी सम्पत्तियों का रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर में रखना होगा और जरूरत पड़ने पर इसे लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में सामान्य वित्तीय नियम 2005 (भारत सरकार) के प्रावधान लागू होंगे।

3. गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

- (i) संबंधित कार्यक्रमों/सेवाओं में संगठन की विशेषज्ञता/अनुभव।
- (ii) एसोसिएशन का गठन, संगम ज्ञापन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों का व्यौरा।
- (iii) प्रबंधक मंडल का गठन, मौजूदा सदस्य, मौजूदा प्रबंधन मंडल के गठन की तारीख।
- (iv) अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट।
- (v) एक ही परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/किसी अन्य स्रोत के अन्य विभाग से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित सूचना।
- (vi) पिछले दो वर्षों के लिए संगठन/संस्था की बैलेन्स शीट और पूर्ण प्राप्ति और भुगतान का विवरण और पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट की एक प्रति। यह चार्टेड एकाउन्टेन्ट अथवा सरकार प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए; और
- (vii) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गैर-न्यायिक रसायन पेपर पर मांगी सहायता अनुदान राशि के लिए संस्था/संगठन के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विधिवत निष्पादित बॉण्ड।

4. गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में अतिरिक्त निवंधन एवं शर्तेः-

- (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करना संगठन के मुखिया का दायित्व है।
- (ख) गारंटी देने वाली संस्था को मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के संबंध में अलग लेखे रखने होंगे।

5. विविध

- (i) कार्यान्वयन एजेंसियों को समवासियों के लिए सुविधाओं का पैकेज, जिसका प्रताव में सुस्पष्ट उल्लेख किया गया हो, उपलब्ध कराना होगा और जो केन्द्रीय सरकारी के पूर्वानुमोदन के बिना समवासियों के अहित में बदला नहीं जाएगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत स्टाफ को काम पर रखते समय निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन आवश्यक है :-

डॉक्टर - मेडिसन के वैकल्पिक प्रणाली सहित मेडिसन में औपचारिक पात्रता (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित) रखने वाला व्यक्ति ।

सामाजिक कार्यकर्ता - रनातक । रनातक स्तर की शैक्षिक पात्रता न रखने की स्थिति में सेवा क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता - व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए ।

चालक - उसके पास वैध ड्राइंग लाइसेंस और तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए ।

अन्य मामलों में भी जहां तक संभव हो उपयुक्त योग्यता अथवा अनुभव वाले व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए ताकि स्वीकारीय सेवा मानदंडों को बनाए रखा जा सके ।

- (iii) परियोजना के कार्यान्वयन से पहले सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को वैधानिक अनुमोदन और लागू निकासी का अनुपालन करना चाहिए ।
- (iv) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के संबंध में, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों को छोड़कर संगठनों को इसके अध्यक्ष/सचिव के नाम पर अलग से संयुक्त खाता रखना चाहिए ।
- (v) पूर्व संशोधित योजना के अंतर्गत जारी परियोजनाओं पर :- मंत्रालय की पूर्व संशोधित योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवा-देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना करने और अनुरक्षण हेतु पात्र संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है । राज्य सरकारों की सिफारिशों और संशोधित योजना और इसके दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इन सभी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी ।